10/1/17 वकील फरीदे का उपस्थित। पत्रावली बाबत
बहस दिनांक 10/1/17 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
करौली

10/1/17 वकील फरीदे का उपस्थित। बहस उभय
पक्ष कायम सुनी गई पत्रावली बाबत आदेश
दिनांक 13/1/17 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
करौली

13/1/17 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन
किया गया। उभयपक्षकारान को सुना गया। वकील
साहब ने बहस में कथन किया है कि गैरआवेदक
का विवादित आराजी से कोई ताल्लुक नहीं है
तथा गैरआवेदकान बिजा पेच कसाईयान के काबिज
की भूमि बतलाते हैं वह भूमि आवेदकान की आराजीयात
के अलावा है। इसी प्रकार की भूमि में आवेदकान
ने बेड़ लगाये हैं जिसमें गैरआवेदकान का कोई
अधिकार नहीं है। विवादित आराजीयात आवेदकान
की होने का वकील आवेदक ने जिरह बहस भी पेश की
है, इसी प्रकार वकील गैरआवेदक ने बताया कि
विवादित आराजी पेच कसाईयान काबिज की है जबकि सबूत में जो जमीन पेच कसाईयान की
बतलाई है वह खसरा नं. अलग है। जो बेड़ लगाये
हैं गैरआवेदकान ने अपने होना बतलाया है।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें
गैरआवेदकान द्वारा विवादित आराजी ग्रा.नं. 2497/485
बकवा रकबा 06 बिस्वा के काश्त कमेटी में जो
लिखा है कि उसका बेड़ा पेश की है जो आवेदकान के

पक्ष में है। विपक्षी ने जो निर्णय की है वो गौ शाला के पक्ष की है जिसके सम्पूर्ण रकबे में बाउण्ड्री कालोनी बनी हुई है। गौशाला की ओर से उक्त खसरा नम्बर में किसी किस्म का अतिक्रमण कोई प्रस्ताव नहीं किया है। जमाबन्दी में पंचकसाई मवेशी खाना के खसरा 4775, है जिसमें रकबा बनी हुई है और जमाबन्दी में भी इजाफा है। उक्त खसरा रकबा हमें दिया है। गौशाला द्वारा जो बाउण्ड्री वॉल निर्माण किया है उसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि बाउण्ड्री वॉल के अधीन में गौशाला ने कोई भी प्रस्तावित प्रस्तुत नहीं किये हैं।

अतः पत्रावली का अवलोकन करने पर मैं सहमति के मत पहुंचा हूँ कि आराजी खसरा नं. 1215 रकबा 1.015 हेक्टेयर विवादित है। कब्जा कौशिल शासन का ही है और गौशाला का उक्त रकबा से कोई ताल्लुक नहीं है अतः गौशाला का बाउण्ड्री वॉल निर्माण अवैध है तथा गौशाला को तार फेंस लगाकर घेराबन्दी करने से मना किया जाता है कि गौशाला शासन की खाली जमीन कब्जा खसरा नं. 1215 में किसी किस्म की अतिक्रमण गतिविधि नहीं करें। नहीं किसी से करावें। शासन के कब्जे का उपयोग उपभोग में किसी किस्म का कोई व्यवधान पैदा नहीं करें। पत्रावली पीठासीन अधिकारी के समक्ष रखी जावे। इस किस्म का आदेश है।

उपखण्ड अधिकारी
हरौली